**E-ISSN:** 2664-603X
**P-ISSN:** 2664-6021
IJPSG 2020; 2(1): 109-110
Received: 19-02-2020
Accepted: 21-03-2020

डॉ० नीतु गौरव
सहायक शिक्षिका, +2 एस. एम.उच्च विद्यालय बसैठ, बेनीपट्टी, मधुबनी, बिहार, भारत

**Corresponding Author:**
डॉ० नीतु गौरव
सहायक शिक्षिका, +2 एस. एम.उच्च विद्यालय बसैठ, बेनीपट्टी, मधुबनी, बिहार, भारत

# भ्रष्टाचार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भारतीय राजनीति

डॉ० नीतु गौरव

सारांश
भ्रष्टाचार और भारतीय राजनीति का संबंध बहुत ही पुराना है। राजनीति के उद्भव काल से ही उनमें धीरे–धीरे भ्रष्टाचार का प्रवेश शुरू हो गया था, जिसका चरम तथा विकृत्त रूप हमें आज दिखता हैं यह अलग सवाल है कि प्राचीन तथा मध्यकाल में प्रशासन के क्षेत्र सीमित थे, जिसके कारण भ्रष्टाचार का क्षेत्र भी सीमित था। लेकिन इसी जड़ें वहीं से जमने लगी थीं। वह काल जब राजतंत्रीय शासन प्रणाली थी और राजाओं की निरंकुशाता से आमजन पीड़ित थे, तब से लेकर आज तक जब प्रजातंत्र की स्थापना हो चुकी है, आमजनों का शोषण बदस्तूर जारी है। बस इसके स्वरूप में समय के साथ परिवर्तन होते गये हैं। परिवर्तन के ये रूप सर्वाधिक स्वातंत्र्योत्तर भारत में दिखता है। जब आम आदमी अंग्रेजों की शोषणकारी सत्ता से मुक्ति के संघर्ष कर रहे थे, तो उन्हें लग रहा था कि आजादी के बाद हमारे देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, पर ऐसा कुछ न हुआ। लोगों ने केवल आजादी के बाद सत्ता–परिवर्तन को देखा, उन्नत समाज, शोषणमुक्त प्रशासन और राजनीति आज भी उनके लिए स्वप्न ही है।

## परिचय
किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार मानव समाज में हमेशा कायम रहता है। महान् अर्थशास्त्री कौटिल्य ने उसके अनेक रूपोयं में विद्यमान रहने का उल्लेख किया है। उनके अनुसार जिस प्रकार जिह्वा पर रखे हुए शहद का स्वाद न लेना असंभव है उसी प्रकार किसी शासकीय अधिकारी के लिए राज्य के राजस्व के एक अंश का भक्षण न करना असंभव है।[1]

प्रचीन एवं मध्य काल में प्रशासन का क्षेत्र सीमित था। फलस्वरूप भ्रष्टाचार की भी कम गुजाइश थी। आधुनिक राज्य ने उन कार्यों का संपादन करना प्ररंभ कर दिया, जो किसी समय परोपकारी, धमार्थ या अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा संपादित होते थे। थोड़े कर्मचारियों द्वारा करे को एकत्र किया जाता था एवं न्याय भी किया जाता था। कोई विस्तृत रूप से लिखित विधि या नियम नहीं थे, जिनका उनके द्वारा पालन किया जाना आवश्यक होता हो, वे अपने कर्तव्य का संपादन प्रायः सुनीति या अंतःकरण के आधार पर करते थे। कुछ अवसरों पर उनके वरिष्ठ अधिकारी उनका मार्गदर्शन करते थे। जब तक कर्मचारी शासक के प्रति भक्ति एवं निष्ठा रखता था और दमन या बलपूर्वक शोषण का आश्रय नहीं लेता था, तब तक वह अपने कार्यों ने अनियंत्रित संत्ता का उपयोग करता था। इसके अतिरिक्त, राजकीय पद वंशानुगत हुआ करते थे।

मौर्य शासन के करीब 2000 वर्षों के पशाचत अंग्रेजों ने व्यापारियों के रूप में भारतीय समुद्र तट पर कदम रखे थे। शीघ्र ही ईस्ट इंडिया कंपनी शक्तिशाली हुई और लड़खड़ाते हुए मुगल साम्राज्य तथा बंगाल के नवाब को अंतिम धक्का देकर उसने इन्हें समापत कर दिया। कंपनी के अपेक्षाकृत लघु शासनकाल में भ्रष्टाचार देश में सर्वत्र फैल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी जो उस समय प्रशासक भी थे। संपत्ति जोड़ने पर उतारू थे। उन्होंने समस्त आदर्शों एवं मान्यताओं को उठा फेंका था। कंपनी बंगाल के अकाल के समय तक दिवालिया हो चुकी थी। उसका संपूर्ण तंत्र भ्रष्ट, पतित एवं अक्षम हो चुका था। अंत में कंपनी को हटाना पड़ा और ब्रिटिश सरकार ने भारत का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। अलगभग 150 वर्षों के शासन में अंग्रेजों ने भारत के श्रेष्ठ प्रशासनिक तंत्र की स्थापना की। लेकिन ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में राजस्व पुलिस एवं आबकारी विभागों को व्यापक स्वविवेकी शक्तियाँ प्रापत थी। फलस्वरूप उनके भ्रष्ट होने की पर्याप्त गुंजाइश थी। न्यायपालिका की छोटी अदालतों का भी यही हाल था। दूसरे विश्वयुद्ध के प्रारंभ होने तक भ्रष्टाचार अधिकांशतः प्रशासन के निम्न स्तर तक ही सीमित था। उच्च लोक संवक पतित, नही हुए थे। इसका कारण यह था कि शासक एवं जनता में निकट के सुसंबंध नहीं थे। वरिष्ठ अधिकारी अधिकांश में अंग्रेज थे। वे भारतीय जनमानस से दूर ही रहते थे। उनके भ्रष्ट होने के लिए न तो परिस्थितियाँ थीं और न ही आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त प्रशासनतंत्र एक क्षेत्र तक ही सीमित था। ब्रिटिश भारत की अर्थ व्यवस्था भी गिरी हुई थी। संपत्ति का चक्र सीमित था। इन स्थितियों ने भ्रष्टाचार करने तथा भ्रष्ट होने के अवसर एवं क्षमता दोनों की सीमा निर्धारित कर दी गयी थी।[2]

इसके बाद द्वितीय विश्वयुद्ध प्ररंभ हुआ। शासन का ध्यान प्रधानतः युद्ध में विजय प्रापत करने पर लग गया। युद्ध सामग्री एवं अनुबंधों पर शासन ने व्यय बढ़ा दिया। शासन के इन कार्यों के फलस्वरूप अनुचित साधनों से धन एकत्र करने के अवसरों की असंभावित परिस्थितियों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके अतिरिक्त युद्ध में सदैव मानवीय मूल्यों का ह्रास हो जाता हैं बंगाल प्रशासन जाँच समिति (1644–45) ने मत व्यक्त करते हुए लिखा है कि–

''युद्ध (द्वितीय विश्वयुद्ध) ने यहाँ अन्य स्थानों की भाँति उन परिस्थितियों को जन्म दिया है, जिनसे धन का अर्जन

सरल हो जाता है। विशेषकर यह तब हुआ था, जब वस्तुओं का इतना अभाव हो गया कि सरकार ने बाध्य होकर उनके व्यापार करने के लिए लाइसेंस देना प्रारंभ कर दिया। लाइसेंस आवश्यक थे, अतः बेईमान एवं चालाक व्यक्तियों ने बिना हिचकिचाहट के अभावग्रसत वस्तुओं के व्यापार करने के लाइसेंस प्राप्त कर दिया। लाइसेंस प्रदान करने के अधिकारी, अधिकांश मामलों में अस्थायी कर्मचारी वर्ग के हाथों में थे, जिनकी भविष्य में स्थायी होने की कोई आशा नहीं थी और जो सेवा की परंपराओं से भली प्रकार परिचित थी नहीं थे। उनके लिए धनार्जन के इस लोभ को संवरण करना कठिन था। अतः युद्धजनित परिस्थितियों ने भ्रष्टाचार के लिए अवसर उत्पन्न कर दिये। इन अवसरों से लाभ उठाने के लिए बेईमान व्यक्तियों का दो कारणों से सहायता प्राप्त हुई– प्रथम प्रशासकीय कार्य और दूसरे कानून का दोष जिनसे अपराध को ढूँढ़ना कठिन होता था एवं अपराधियों के लिए अपर्याप्त दण्ड के विधान थे।''[3]

स्वाधीनता के उपरांत विभिन्न तत्त्व उत्पन्न हुए, जिनसे भ्रष्टाचार पनपा। कल्याणकारी राज्य का आदर्श अंगीकार करने के फलस्वरूप राज्य के कार्यों में असाधारण वृद्धि हुई। यही नहीं, अनेक नवीन एवं अपरिचित दायित्वों को भी राज्य को वहन करना पड़ा। आर्थिक क्षेत्र में भी राज्यों के कार्यों में वृद्धि हुई। नियमन, नियंत्रण, लाइसेंस, परमिट का युग आरंभ हुआ, जिनसे भ्रष्टाचार के लिए नवीन मार्ग खुल गया। विभिनन स्तरों पर राजनीतिक सत्त प्राप्त करने की होड़ ने इस व्याधि को कैंसर की भाँति असाध्य बना दिया। समय–समय पर केन्द्रिय एवं राज्य सरकारों द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। लेकिन उनके यह प्रयत्न न तो प्रभावकारी सिद्ध हुए और न स्थायी ही। उपनपाए गए निर्बल तरीकों से यह विश्वास उत्पन्न कर दिया कि सरकार स्वच्छ एवं निष्पक्ष प्रशासन की स्थापना में विश्वास नहीं करती है। एक इस विचार का भी प्रतिपादन किया गया कि सरकार भ्रष्टाचार के विरूद्ध तो है, परंतु उन भ्रष्ट व्यक्तियों के विरूद्ध नहीं है जो शक्ति, प्रभाव एवं संरक्षण का उपभोग करते हैं [4]।

वर्तमान भौतिक सथ्यता के कारण प्राचीनकाल से सरल और सादे जीवन के आदर्शों का निरंतर ह्रास होता चला जा रहा है, पहले जीवन की आवश्यकताएँ बहुत कम थी, अब उनमें निरंतर वृद्धि हो रही है जो पहले विलास की वस्तुएँ थी, वे अब जीवन की आवश्यकताएँ बनाती जा रही है। इनकी प्राप्ति के लिए प्रचुरमात्रा में धन की आवश्यकता होती है। यह ईमानदारी के तरीकों से कमाना काफी कठिन होता है, किन्तु अनैतिक उपायों से सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है, पुराने नैतिक मूल्यों में विश्वास रखने के कारण पहले व्यक्तियों को अनैतिक कार्य करने में अंतःकरण की झिझक, संकोच और ग्लानि होती थी, अब इसके स्थान पर अनैतिक उपायों से सामग्री प्राप्त करने में उनती अधिक प्रसन्नता होती है।

वर्तमान में भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण मंत्रियों तथा नेताओं द्वारा प्रशासन में हस्तक्षेप करना और अपनी पार्टी कर्मचारियों की नियुक्तियों पदोन्नतियों, स्थानांतरण, परीक्षाफलों, छात्र–वृत्तियों आदि सभी छोटे–बड़े मामले में राजनीतिक नेता, विधायक तथा संसद सदस्य गहरी दिलचस्पी लेते हैं। संबद्ध अधिकारियों पर अभीष्ठ व्यक्तियों की नियुक्ति, पदोन्नति आदि के लिए बड़ा दबाव डालते हैं। चुनाव लड़ने के लिए विभिन्न पार्टियाँ पूँजी–पतियों, धनियों और कंपनियों से पैसे इकट्ठा करती हैं। सत्तरूढ़ होने पर उन्हें अनुचित लाभ पहुँचाने का प्रयास करती है। सत्तारूढ़ होने पर उन्हें अनुचित लाभ पहुँचाने का प्रयास करती हैं वैसे वर्तमान में चुनाव के लिए कंपनियों से दान लेने पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया है [5]। अतः इससे बचने के लिए राजनैतिक दलों ने चुनाव के अवसर पर अपनी पार्टियों के प्रचार के लिए प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक–पुस्तिकाओं और समारिकाओं में छापे जाने वाले विज्ञापनों के नाम पर पूँजीपतियों तथा कंपनियों से बड़ी–बड़ी धन राशियाँ एकत्र करने की परिपाटी का श्रीगणेश किया। जो एक प्रकार से भ्रष्टाचार के रूप हैं।

## निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आदिकाल और मध्यकाल से लेकर आधुनिककाल तक की राजनीति में भ्रष्टाचार व्याप्त हैं आम आदमी तक से लेकर अब तक इन भ्रष्टाचारों को झेलने के लिए अभिशप्त है। शासन बदलता है। सत्ताधारी बदलते हैं पर भ्रष्टाचार सदैव जारी रहता है। हम यह नहीं कह सकते कि राजनीति में बैठे तब से अब तक के सारी सत्ताधारी भ्रष्ट ही रहे हैं। पर यह कहा जा सकता है, कि राजनीति में इसकी संख्या मुट्ठी भर रही है, जिसका कुछ सेवा का काम माना जाता था, अब यह एक पेशा है, एक मुनाफे का रोजगार है, इसमें जितनी अधिक भ्रष्टता आएगी मुनाफा उतना ही अधिक होगा। हम समझते हैं कि देश से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए प्रथमतः राजनीति में परिव्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाया जाना चाहिए। उसके बाद लगभग सभी तरह के भ्रष्टाचार स्वतः समाप्त हो जाएंगे।

## संदर्भ

1. कोटिल्य का अर्थशास्त्र– 2/9/1–2
2. टाइम्स ऑफ इंडिया, 16 सितम्बर, 1977, पृ.– 1
3. लोक प्रशासन– हरिदत्त वेदालंकार, पृ.– 319
4. भारतीय संविधान– अनुच्छेद– 311
5. कंपनी कानून– 1967, धारा– 293